मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 534/ डी-47/एसडीएमए/2019 भोपाल, दिनांक 20/08/2019

एनडीएमए द्वारा मध्यप्रदेश के 08 चिन्हित खतरे वाले पिछड़े जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को सुदृढ़ करने हेतु उक्त जिलों मे संविदा आधार पर 08 सलाहकारों की भर्ती (Hiring)

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की योजना 'Improving Disaster Risk Governance at SDMAs/ DDMAs level' की उप-योजना 'अन्य आपदा प्रबंधन योजना (ODMS)' के अंतर्गत मध्यप्रदेश के निम्नांकित आठ जिलों को चिन्हित किया है :
   - (1) राजगढ़
   - (2) दमोह
   - (3) छतरपुर
   - (4) खण्डवा
   - (5) विदिशा
   - (6) गुना
   - (7) बड़वानी
   - (8) सिंगरोली

2. उक्त योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
   - (i) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आपदा जोखिम में कमी के लिए सेंदाई ढांचे के प्रावधानों के अनुसार, आपदा जोखिम में कमी के उपाय करने में पहचान किए गए पिछड़े जिलों में डीडीएमए को सहयोग करना।
   - (ii) आपदा प्रबंधन अधिनियम और सेंडाइ फ्रेमवर्क और राज्य आपदा प्रबंधन योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी / संरेखण (alignment)में मदद करना।
   - (iii) जिला और पंचायत स्तर पर, आपदा की प्रभावी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए, मॉक ड्रिल, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों मे सहायता प्रदान करना।
   - (iv) प्रभावी तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन उपायों के लिए, जिला प्रशासन और पंचायत स्तर के बीच समन्वय में मदद करना।
   - (v) आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में जिला एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता पैदा करना।

20-08-19

2. उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार / डीएम पेशेवर की भर्ती (Hiring) की जानी है जिसके लिए अहर्ताएं एवं शर्तें निम्नानुसार है :

1.	पद का नाम	संविदा सलाहकार (आपदा प्रबंधन)
2.	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी विषय में मास्टर डिग्री (आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, भूगोल, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन को अधिमान दिया जाएगा)
3.	कार्यानुभव	• उम्मीदवारों को आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। • संबंधित क्षेत्र में पीएचडी डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। • उम्मीदवारों को आपदा प्रबंधन योजनाओं और दिशानिर्देशों की तैयारी या आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का उचित अनुभव होना चाहिए। शासकीय / अर्धशासकीय विभागों मे आपदा प्रबंधन के कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4.	आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
5.	अवधि	• 12 महीने की अवधि के लिए। परियोजना के पूरा होने तक वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है। • सलाहकार को एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय हटाया जा सकता है। सलाहकार का अधिकार प्राधिकारी को एक महीने का नोटिस देकर भी असाइनमेंट से इस्तीफा दे सकता है। यदि सलाहकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, तो एनडीएमए अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है।
6.	शुल्क	रुपए 70,000/- प्रति माह
7.	रिपोर्टिंग तंत्र	सचिव (गृह) एवं समन्वयक, एसडीएमए के निर्देशानुसार, सलाहकार जिले में उपयुक्त प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और एसडीएमए / एनडीएमए के साथ समन्वय बनाए रखेगा।
8.	सलाहकारों के कार्य / दायित्व	(i) आपदा प्रबंधन अधिनियम, सेंदाई फ्रेमवर्क और राज्य योजना के प्रावधानों के अनुसार जिला योजनाओं का संरेखण (alignment)। (ii) इन जिलों में विभिन्न स्थानों पर मॉक अभ्यासों का समन्वय। (iii) बेहतर तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया उपायों के क्षमता निर्माण के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण। (iv) जिला जोखिम प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाना। (v) आपदा पहलुओं और सेंदाई फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग संकेतकों पर डेटा एवं जानकारी को संकलित कर, एसडीएमए को समय पर प्रस्तुत करना। (vi) प्रभावी तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन उपायों के लिए पंचायत स्तर के साथ जिला प्रशासन का बेहतर समन्वय। (vii) जिला स्तर पर आपदा डेटा बेस स्थापित करने में सहायता करना।

Asmin
20-08-19

		(viii) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को विकास कार्यक्रमों की मुख्यधारा मे लाने के किए अवसरों की पहचान करने में डीडीएमए की सहायता करना। (ix) एसडीएमए / डीडीएमए द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

एनडीएमए द्वारा इस पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक अहर्ता एवं कार्यानुभव अनुसार, आवेदकों के द्वारा उपलोड किए गए दस्तावेज़ों की स्क्रीनिंग कर, उम्मीदवारों के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र मे कार्यानुभव (शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय मे सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष एवं अशासकीय सेवा के लिए 1 अंक प्रतिवर्ष) के आधार पर रिक्त पदों के दस गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार समिति के समक्ष बुलाया जाएगा एवं साक्षात्कार समिति द्वारा प्रदत्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो अधिक कार्यानुभव वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त भर्ती के लिए आवेदन सीधे एमपी ऑनलाइन के पोर्टल (www.mponline.gov.in) पर करें, किसी अन्य माध्यम से नहीं। एमपी ऑनलाइन द्वारा आवेदकों से रुपए 150/- (कर अतिरिक्त) के रूप मे आवेदन शुल्क एवं रुपए 50/- (कर अतिरिक्त) editing शुल्क के रूप मे प्राप्त किया जाएगा।

महत्वपूर्ण शर्तें :

1. संविदा अवधि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ हुए एमओयू मे उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही बढ़ाई जा सकेगी।
2. मध्यप्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु चयनित उम्मीदवार सचिव (गृह) एवं समन्वयक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करेंगे ।
3. सलाहकार के रूप में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विकास एवं उन्नयन हेतु कार्य करेंगे।
4. सलाहकार के रूप में चयनित आवेदक को समय–समय पर डाटा संग्रहण एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न जिलों में वृहद यात्राएँ करनी होंगी ।
5. आवेदक को हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान (डाटा संग्रहण, विश्लेषण, दस्तावेजीकरण तथा प्रस्तुतीकरण) होना चाहिये। इस हेतु पृथक से कोई अमला प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
6. आवेदक भारत का नागरिक हो, हिन्दी एवं अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है ।
7. संविदा पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं/अनुभव न्यूनतम है ।
8. आवेदक अपनी अर्हताओं की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें, चयन में किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।
9. विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहे हैं ।
10. उपर्युक्त पद पर चयनित उम्मीदवार को पृथक से कोई विशेष सुविधा/लाभ नहीं दिया जावेगा ।

11. उपरोक्त पद पर चयनित उम्मीदवार पूर्णतः संविदा आधार पर विभाग में कार्य करेंगे एवं उन्हें विभाग में पूर्णकालिक पद पर नियुक्ति की कोई पात्रता नहीं होगी। नियमित शासकीय सेवा अथवा पेंशन की पात्रता नहीं होगी ।

12- परियोजना की आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरिट सूची घोषित होने की दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी जिससे इन पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की जा सकेगी।

13. किसी भी परिवाद के लिये अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सचिव (गृह) एवं राज्य समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा ।

महत्वपूर्ण तिथियाँ :

सरल क्रमांक	कार्य	दिनांक
01	विज्ञापन का प्रमुख समाचार पत्रों एवं एमपीएसडीएमए तथा गृह विभाग की वैबसाइट मे प्रकाशन	31.08.2019
02	इच्छुक आवेदकों द्वारा www.mponline.gov.in के माध्यम से रुपए 150/- (कर अतिरिक्त) का शुल्क (जो कि mponline को देय होगा) जमा कर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि	05.09.2019 से 20.09.2019
03	आवेदकों द्वारा www.mponline.gov.in के माध्यम से रुपए 50/- (कर अतिरिक्त) का शुल्क (जो कि mponline को देय होगा) जमा कर ऑनलाइन आवेदन मे यदि कोई गलती है तो उसको ठीक करने की अवधि	21.09.2019 से 22.09.2019
04	प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रीनिंग	23.09.2019 से 27.09.2019
05	mponline की वैबसाइट पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन	04.10.2019
06	साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार कॉल लेटर डाउनलोड करने की अवधि	07.10.2019 से 11.10.2019
07	साक्षात्कार की तिथि	16.10.2019
08	mponline, एमपीएसडीएमए एवं गृह विभाग की वैबसाइट पर साक्षात्कार मे सफल उम्मीदवारों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	21.10.2019
09	सफल उम्मीदवारों को संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया जाना	24.10.2019
10	सफल उम्मीदवारों के प्राधिकरण मे कार्यभार ग्रहण की अंतिम तिथि	01.11.2019

20-08-19